





# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 2013/माघ 2, 1934

No. 32]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 2013/MAGHA 2, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2013

**सा.का.नि. 37(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल (समूह 'ख' अराजपत्रित, योधक पैरा मैडिकल स्टाफ) भर्ती नियम, 1999, सीमा सुरक्षा बल (समूह 'सी' योधक पैरा मैडिकल स्टाफ) भर्ती नियम, 2002 और सीमा सुरक्षा बल (समूह 'सी' अराजपत्रित योधक पैरा मैडिकल स्टाफ) तकनीकी पद भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है सीमा सुरक्षा बल में समूह 'क', 'ख' और 'ग' योधक पैरा चिकित्सा कर्मचारिवृन्द के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, योधक पैरा चिकित्सा कर्मचारिवृन्द भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान:—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि:—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. चिकित्सक दृष्टया योग्यता:—(1) नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल ऐसे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेष-I, में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रोन्नति पर नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन के लिए पात्र होंगे।

(2) शेष-I का तात्पर्य निम्नलिखित चिकित्सा प्रवर्ग से है :—

(i) चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधिकारी का यथानिर्धारित मानकों के तहत किया गया और कूट अक्षरों SHAPE द्वारा इंगित चिकित्सा श्रेणीकरण निम्नलिखित को दर्शाता है :—

S-मनोवैज्ञानिक (Psychological)

H-श्रवण क्षमता (Hearing)

A-एपेंडेजेज (Appendages)

P-शारीरिक क्षमता (Physical Capacity)

E-दृष्टि क्षमता (Eye-Sight)



(ii) अधिकारी की कार्य क्षमता को प्रत्येक कूट अक्षर के सामने 1 से 5 तक के अंकों से दर्शाया जायेगा जो क्रमशः घटती हुई कार्यक्षमता को दर्शाएंगे और अंकों को कूट अक्षर के सामने लिखा जाएगा, सिवाय उस स्थिति के जहां कोई अधिकारी सभी मानकों में ग्रेड-1 में है तो उसकी श्रेणी को S1H1A1P1E1 लिखने की बजाय SHAPE-1 लिखकर दर्शाया जा सकता है और इन अंकों का सामान्य मूल्यांकन निम्नलिखित है :-

- (1) कहीं भी हर प्रकार की ड्यूटी के लिए स्वस्थ।
- (2) हर प्रकार की ड्यूटी के लिए स्वस्थ लेकिन कार्यों के प्रकार और कार्य क्षेत्रों के अनुसार सीमित जो इस बात पर निर्भर है कि इन कार्यों में अत्यधिक मानसिक दबाव या श्रवण अथवा दृष्टि क्षमता अथवा आंख और कान दोनों की तीक्ष्णता अपेक्षित है अथवा नहीं।
- (3) "एस" मानक को छोड़कर दैनन्दिन अथवा बैठकर की जाने वाली ड्यूटी के लिए स्वस्थ लेकिन अधिक ऊंचाई (2,700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे या पहाड़ी क्षेत्रों में और लंबे कार्य के लिए असमर्थता हो सकती है।
- (4) अस्पताल में भर्ती होने या बीमारी के कारण अवकाश के कारण अस्थायी रूप से अस्वस्थ।
- (5) ड्यूटी के लिए स्थायी रूप से अस्वस्थ।

5. निरर्हताएं :- वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. अन्य देशीय की अपात्रता:-ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्वअनुज्ञा से इन नियमों के अधीन नियुक्त या नियोजित किया जाएगा अन्यथा नहीं।

परन्तु यह कि इस नियम की कोई बात बल में नेपाल और भूटान के नागरिक की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करती है।

7. अधिवर्षिता :- (1) ऐसा व्यक्ति जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया है, उस मास की अंतिम तारीख के अपरान्ह में, जिसको वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए अनुसार अपनी सेवा से सेवा निवृत्त होगा:

. परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति, जिसकी जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है, उस मास से पूर्व मास की अन्तिम तारीख को सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा।

